भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 743

गुरूवार, 05 फरवरी, 2026/16 माघ, 1947 (शक)

पहाड़ी राज्यों से पलायन को रोकना

743 # **श्री महेंद्र भट्ट:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पहाड़ी राज्यों से पलायन को रोकने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) सीमावर्ती राज्यों में युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई जा रही कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): कामगारों का एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास एक सतत प्रक्रिया है और इसकी प्रकृति गतिशील होती है।

कामगारों हेतु बेहतर कार्यदशाओं, सुरक्षा, मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण को बढ़ाने के लिए चार श्रम संहिताओं अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध (आईआर) संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 को दिनांक 21.11.2025 को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत, मौजूदा 29 श्रम कानूनों को समाविष्ट किया गया है।

इन नई श्रम संहिताओं में, असंगठित गिग, प्लेटफॉर्म और अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए नियुक्ति पत्र, एकसमान न्यूनतम मजदूरी, राष्ट्रव्यापी सामाजिक सुरक्षा, निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, रात की पाली सहित सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए महिलाओं के अधिकारों का विस्तार आदि अनिवार्य हैं। ये संहिताएं, असंगठित कामगारों सहित सभी क्षेत्रों के कामगारों की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाती हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए रोज़गार सृजन को बढ़ावा देने, रोज़गार क्षमता बढ़ाने और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए "प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना" (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया था। यह योजना दिनांक 15 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी।

जारी–2/--

इस योजना की पंजीकरण अवधि दिनांक 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष की है और इसका बजटीय परिव्यय ₹99,446 करोड़ है। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

सरकार स्थानीय संसाधनों और तुलनात्मक लाभों के अनुरूप ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास और स्व-रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसरों को मजबूत करते हुए रोजगार सृजन कर रही है, पहाड़ी और सीमावर्ती जिलों में कौशल प्रशिक्षण, शिक्षुता (अप्रेंटिसशिप) और उद्यमिता सहायता तक पहुंच बढ़ाकर युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार कर रही है और इसके साथ ही, पहाड़ी इलाकों के अनुकूल इको-टूरिज्म, बागवानी, हथकरघा, हस्तशिल्प और संबद्ध गतिविधियों जैसी क्षेत्र-विशिष्ट आजीविका को बढ़ावा दे रही है, स्थानीय उद्यमों और दूरस्थ कार्य (रिमोट वर्क) के अवसरों को समर्थ बनाने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार कर रही है और क्षेत्र-विशिष्ट विकास अंतरालों को दूर करने के लिए राज्य सरकार की पहलों के साथ केंद्रीय योजनाओं का एकीकृत क्रियान्वयन कर रही है। इन उपायों का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक स्थितियों में सुधार करते हुए मजबूरीवश होने वाले प्रवासन को कम करना है, वहीं बेहतर अवसरों की तलाश में व्यक्तियों के प्रवास करने की स्वतंत्रता का सम्मान करना है।

सरकार ने देश भर के युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कदम भी उठाए हैं, अर्थात् शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं सहित सभी की रोजगार क्षमता में सुधार करने के साथ-साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और यह भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि की एक बहु-हितधारक पहल है। ये मंत्रालय विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विकसित भारत-गारंटी रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि को कार्यान्वित कर रहें हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रीय करिअर सेवा (एनसीएस) पोर्टल का संचालन कर रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर (रोजगार मेले) की जानकारी नौकरी की खोज और मिलान, करियर काउंसलिंग (परामर्श), व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की जानकारी सहित करिअर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है।
